



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 526) पटना, बुधवार, 2 सितम्बर 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2020

सं० स्था०-42/94-6261/परि०— मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) सह-पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अध्यक्ष के रूप में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को एवं उप परिवहन आयुक्त, बिहार को सदस्य सचिव के रूप में नामित करते हुए पुनर्गठित किया जाता है। शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जा सकेगा।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या- स्था०-42/94 परि०-1967, दिनांक-25.04.2016 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद C.W.J.C.No.-717 of 2017 अर्चना ठाकुर @ अर्चना तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वर्तमान/अन्तिम निर्णय से प्रभावित होगी।

3. एतद् सम्बन्धी पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक अवक्रमित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 526-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>